[2009] 13 (अतिरिक्त) एस.सी.आर. 540

वी. कन्नन

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि

(2009 की दांडिक अपील सं. 1590)

24 अगस्त, 2009

[दलवीर भंडारी और पी. सथासिवम, न्यायमूर्तिगण]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998: धारा 7, धारा 13(1)(डी) के साथ-साथ धारा 13(2) - अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि - हस्तक्षेप- अभिनिर्धारितः आवश्यक नहीं - रिश्वत की मांग और स्वीकृति - अभियोजन पक्ष द्वारा राशि सिद्ध - स्वतंत्र गवाह ने शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि की - अधीनस्थ न्यायालय बचाव पक्ष के बयान को खारिज करने में सही थीं।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम डॉ. जी. के. घोष, (1984) 1 एस.सी.सी. 254, पर अवलंबन किया गया।

सुभाष परबत सोनवणे बनाम गुजरात राज्य , (2002) 5 एस.सी.सी. 86, को वर्तमान मामले से विशिष्ट माना गया।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भ :

(1984) 1 एस.सी.सी. 254 — इस निर्णय पर अवलंबन किया गया। (कंडिका 20)

(2002) 5 एस.सी.सी. 86 — इस निर्णय को विशिष्ट माना गया। (कंडिका 16)

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता : 2009 की दाण्डिक अपील संख्या 1590 ।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2002 की दाण्डिक अपील संख्या 664 में दिनांक 4.7.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अल्ताफ अहमद; एस. धनंजयन, अपीलकर्ता की ओर से।

टी. वी. रत्नम, एम. चन्द्रशेखर, बी. के. प्रसाद, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी** द्वारा दिया गया। 1. विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 664 वर्ष 2002 में दिनांक 4.7.2008 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है।

3. इस अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं।

4. शिकायतकर्ता ए. अलेक्ज़ेंडर (अभियोजन साक्षी -1) एम/एस ओएलओएचवी इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्वामी थे और यह कम्पनी रेलवे के लिए संविदात्मक कार्य करती थी। कम्पनी ने वर्ष 1993 से 1997 तक एक करोड़ रुपये के संविदात्मक कार्य पूरे किए थे। प्रचलित नियमों के अनुसार, बिलों का भुगतान केवल मापन पुस्तिका में "साइट अभियंता" के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही किया जा सकता था। संविदात्मक कार्य वर्ष 1997 में पूरा हो गया था और शिकायतकर्ता अभियोजन साक्षी -1 को 9 लाख रुपये की राशि प्राप्त होनी शेष थी।

5. अपीलकर्ता संबंधित अवधि के दौरान साइट अभियंता था और उसका दायित्व मापों का सत्यापन करना तथा मापन पुस्तिका में प्रविष्टियाँ करना था। अपीलकर्ता ने परिवादी अभियोजन साक्षी-1 को सूचित किया कि उसे अप्रयुक्त सामग्री रेलवे विभाग को वापस करनी होगी। अपीलकर्ता ने अंतिम बिल को पारित करने के लिए 1.4.1998 को प्रातः 9:30 बजे परिवादी अभियोजन साक्षी -1 से 5,000 रुपये रिश्वत की माँग की। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि उक्त रिश्वत राशि उसी दिन दोपहर के भोजनावकाश के समय दी जाए। परिवादी अभियोजन साक्षी -1 रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था और परिणामस्वरूप उसने 1.4.1998 को लगभग प्रातः 10:30 बजे सी.बी.आई., चेन्नई के उप पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत प्रस्तुत की। उप पुलिस अधीक्षक ने वह शिकायत पुलिस निरीक्षक प्रेम आनन्द को सौंप दी

और लगभग 11:30 बजे उक्त निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहों बालाचंदर तथा प्रकाश का परिचय कराया। परिवादी अभियोजन साक्षी -1 ने 5,000 रुपये के मुद्रा नोट निरीक्षक को सौंपे और निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात निरीक्षक ने सुपुर्दगी महाजर तैयार किया और रासायनिक चूर्ण लगे मुद्रा नोट परिवादी अभियोजन साक्षी -1 की कमीज़ की जेब में रख दिए। निरीक्षक ने निर्देश दिया कि उक्त राशि केवल माँग किए जाने पर ही अपीलकर्ता को दी जाए। परिवादी अभियोजन साक्षी -1 को यह भी बताया गया कि माँग पर रिश्वत राशि देने के पश्चात वह अपने चेहरे को रूमाल से पोंछकर संकेत दे।

6. उपर्युक्त गवाहों तथा ट्रैप दल को लगभग दोपहर 1:00 बजे अपीलकर्ता के कार्यालय भेजा गया। परिवादी अभियोजन साक्षी -1 तथा बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 भी अपीलकर्ता के कक्ष में गए और वह (अपीलकर्ता) उन्हें उप महाप्रबंधक के कक्ष में ले गया। अपीलकर्ता ने रिश्वत की राशि की माँग की और परिवादी ने उसे रिश्वत की राशि सौंप दी। अपीलकर्ता मुद्रा नोटों को गिनने लगा और बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 बाहर जाकर पूर्व-निर्धारित संकेत ट्रैप दल को दे आया। इसके तुरंत बाद निरीक्षक कक्ष में प्रवेश किया और उसने अपना परिचय दिया।

7. अपीलकर्ता के दोनों हाथों पर सोडियम कार्बोनेट परीक्षण किया गया और विलयन के रंग में परिवर्तन पाया गया। उक्त विलयनों को अलग-अलग बोतलों में सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया। अपीलकर्ता ने रिश्वत की राशि परिवादी अभियोजन साक्षी -1 को सौंप दी और मुद्रा नोटों के क्रमांक सुपुर्दगी महाजर से मिलाए गए, जो एक समान पाए गए।

8. अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 एक स्वतंत्र गवाह है और उसकी गवाही का परिवादी अभियोजन साक्षी -1 के साक्ष्य द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है।सी.बी.आई. के निरीक्षक प्रेम आनन्द, अभियोजन साक्षी -3 ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता के विरुद्ध ट्रैप की व्यवस्था की थी। श्रीमती कस्तूरी

बाई, अभियोजन साक्षी -6, चेन्नई स्थित विधि-विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-1 के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें दो विलयन-युक्त बोतलें प्राप्त हुई थीं। परीक्षण करने पर उन विलयनों में फिनॉल्फ्थेलीन तथा सोडियम कार्बोनेट पाया गया।

9. अपीलकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में कहा कि एक साइट अभियंता के रूप में उसके कर्तव्य एम.आर.टी.एस. परियोजना, मायलापुर के कार्यस्थल पर गर्डरों की स्थापना का पर्यवेक्षण करना, कार्यस्थल पर मानवबल एवं सामग्री दोनों के सुरक्षा मानकों की निगरानी करना, यह निरीक्षण करना कि संविदात्मक कार्य विनिर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं, तथा परियोजना प्रबंधक (उप महाप्रबंधक) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में भंडार प्रबंधन करना था।

10. अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कहा कि उसने वर्ष 1997 में ए. अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 से टीवीएस चैम्प संख्या टी.एन.-21-6743 नामक एक पुराना दोपहिया वाहन 7,000 रुपये में खरीदा था। अपीलकर्ता ने प्रारम्भ में 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया था और शेष 2,000 रुपये वाहन से संतुष्ट होने के बाद दिए जाने थे। चूँकि वाहन में यांत्रिक दोष थे, इसलिए अपीलकर्ता ने अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 से वाहन वापस ले जाने तथा 5,000 रुपये लौटाने के लिए कहा था। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि 1.4.1998 को दोपहर 1:00 बजे, जब वह मायलापुर स्थित कार्यस्थल पर कार्य कर रहा था, उस समय अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 उसके पास आया और उसने कहा कि वह दोपहिया वाहन की खरीद के लिए दी गई राशि वापस करने आया है। अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 ने उससे कहा कि उसका सहायक जयकांतन उसे वह राशि सौंप देगा। इसके बाद वह परिवादी के साथ उप महाप्रबंधक वैद्यनाथन के कक्ष में बिलों के संबंध में चर्चा करने के लिए गया। उस समय वैद्यनाथन एक एस.टी.डी. टेलीफोन कॉल सुनने के लिए महाप्रबंधक के कक्ष में चले गए थे। इसी दौरान जयकांतन ने उसे वह राशि सौंप दी। अपीलकर्ता ने कहा कि उसी समय उसने

अपने खलासी गोविन्दन को बुलाया, उसे मेज की चाबी दी और कहा कि वह मेज की दराज़ से वाहन की चाबी निकालकर जयकांतन को वाहन सौंप दे। तभी वैद्यनाथन टेलीफोन कॉल समाप्त करके वापस आ गए और वे सभी उनके कक्ष से लौटकर उसके कक्ष में आ गए तथा पुनः चर्चा प्रारम्भ कर दी। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि जब वैद्यनाथन ने उससे पूछा कि यह राशि किस बात की है, तब उसने बताया कि यह राशि अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 ने अपने सहायक जयकांतन के माध्यम से उसे दी है, क्योंकि वह अलेक्ज़ेंडर अभियोजन साक्षी -1 से खरीदा गया टीवीएस चैम्प दोपहिया वाहन वापस कर रहा था। उसने यह भी बताया कि उसने गोविन्दन को निर्देश दिया था कि वह वाहन जयकांतन को सौंप दे।

11. अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि जब सी.बी.आई. के अधिकारी आए और उससे अपने हाथ ऊपर उठाने को कहा, तब उसने प्रेम आनन्द अभियोजन साक्षी -3 से कहा कि उसके हाथ में जो राशि है, वह वाहन के लेन-देन से संबंधित राशि है, न कि रिश्वत की राशि। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि उसने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की थी। उसने यह भी कहा कि परिवादी अभियोजन साक्षी -1 के बिल तैयार करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि वह मामला उप महाप्रबंधक स्तर पर विचाराधीन था। अपीलकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि परिवादी अभियोजन साक्षी -1 ने उसके विरुद्ध जानबूझकर यह झूठी शिकायत दर्ज कराई थी ताकि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकॉन) द्वारा उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी कार्रवाई को रोका जा सके, क्योंकि उसके बिलों से 16 लाख रुपये से अधिक की राशि काटी जा सकती थी।

12. विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचना के पश्चात अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव-पक्ष के कथन को अस्वीकार कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दोषी ठहराया। अधिनियम की धारा 7 के आरोप के लिए अपीलकर्ता को एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया और जुर्माना अदा न

करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्ड निर्धारित किया गया। अधिनियम की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के आरोप के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये के जुर्माने का दण्ड दिया गया और जुर्माना अदा न करने की दशा में एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड निर्धारित किया गया। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत पूर्व में भुगती गई कारावास अवधि का समायोजन करने का निर्देश दिया गया।

13. अपील में उच्च न्यायालय ने मामले का पुनः परीक्षण किया और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की, किन्तु अधिनियम की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दी गई दो वर्ष की सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया।

14. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अल्ताफ अहमद ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में माँग और स्वीकृति दो अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं तथा अभियोजन पक्ष को इन दोनों तथ्यों को सिद्ध करना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि जब तक रिश्वत की माँग और उसकी स्वीकृति स्पष्ट साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो जाए, तब तक भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता

16. इस संदर्भ में *सुभाष परबत सोनवणे बनाम गुजरात राज्य* (2002) 5 एस.सी.सी. 86 के निर्णय पर भरोसा किया गया। उस मामले में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के कथन से यह सिद्ध नहीं होता था कि परिवादी से किसी धनराशि की माँग की गई थी। उस मामले में अपीलकर्ता ने परिवादी से शाम को आने के लिए कहा था और जब अभियुक्त शौचालय की ओर जा रहा था, तब परिवादी उसके पीछे गया तथा अपनी जेब से कोई वस्तु निकालकर उसे दे दी, जिसे अपीलकर्ता ने अपनी जेब में रख लिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलकर्ता ने

परिवादी से किसी धनराशि की माँग की थी अथवा उसने वह धनराशि रिश्वत के रूप में प्राप्त की थी।

17. इस विधिक सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन पक्ष को रिश्वत की माँग तथा स्वीकृति, दोनों को सिद्ध करना आवश्यक होता है, किन्तु वर्तमान मामले के तथ्य पूर्णतः भिन्न हैं और उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के किसी भी प्रकार सहायक नहीं है।

18. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से अभियोजन साक्षी -1 से धनराशि की माँग की थी। परिवादी के कथन का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:—

> "...... वह ओ.एल.ओ.एच.वी. इंजीनियरिंग सर्विसेज का स्वामी है और उक्त कम्पनी रेलवे के लिए ठेका कार्य करती थी। वर्ष 1993 से 1997 के दौरान उसने लगभग एक करोड़ रुपये के ठेका कार्य पूरे किए थे। माप-पुस्तिका में स्थल अभियंता हस्ताक्षर करता था तथा भुगतान चेक द्वारा किया जाता था। ठेका कार्य वर्ष 1997 में पूर्ण हो गया था और अभियोजन साक्षी -1 को लगभग 9 लाख रुपये की राशि अभी प्राप्त होनी शेष थी। उस अवधि में अभियुक्त स्थल अभियंता था और उसी को माप का सत्यापन करना तथा माप-पुस्तिका में प्रविष्टि करनी होती थी। अभियुक्त ने सूचित किया कि अभियोजन साक्षी -1 को अप्रयुक्त सामग्री रेलवे विभाग को वापस करनी होगी। दिनांक 1.4.1998 को प्रातः लगभग 9:30 बजे अभियुक्त ने अंतिम बिल का भुगतान स्वीकृत कराने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत की माँग की......"

19. बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 के अनुसार, उसके समक्ष ही राशि अपीलकर्ता को सौंप दी गई थी। जैसे ही रिश्वत की राशि अपीलकर्ता को दी गई, उसने मुद्रा नोटों को गिनना प्रारम्भ कर दिया। उसी समय बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 बाहर आया और पूर्व-निर्धारित संकेत दे दिया। इसके तुरंत बाद निरीक्षक तथा जाल बिछाने वाली टीम उस कक्ष में प्रवेश

कर गई और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया तथा अपीलकर्ता के दोनों हाथों का पृथक-पृथक फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण किया गया। घोल का रंग बदल गया और उन घोलों को अलग-अलग शीशियों में सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया।

20. बालाचंदर अभियोजन साक्षी -2 एक स्वतंत्र गवाह है और उसने परिवादी अभियोजन साक्षी -1 के साक्ष्य की पुष्टि की है। अतः इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता का यह तर्क स्वीकार करना कठिन है कि रिश्वत की राशि की न तो माँग हुई थी और न ही उसकी स्वीकृति। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता के बचाव-पक्ष के कथन को अस्वीकार कर दिया।

21. इस न्यायालय ने *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम डॉ. जी. के. घोष* (1984) 1 एस.सी.सी. 254 में उपयुक्त रूप से यह अवलोकन किया था कि सामान्यतः कोई नागरिक, यदि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा उससे अवैध पारितोषिक की माँग की जाती है, तब भी सतर्कता विभाग में शिकायत करने और जाल बिछाने की व्यवस्था कराने के लिए उत्सुक नहीं होता, बल्कि उससे बचना चाहता है। निर्णय के पृष्ठ 261 के अनुच्छेद 9 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है—

> "9. सामान्यतः कोई नागरिक सतर्कता विभाग में शिकायत करने और जाल बिछाने की व्यवस्था कराने के लिए उत्सुक नहीं होता, बल्कि उससे बचना चाहता है, भले ही किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उससे अवैध पारितोषिक की माँग की गई हो। इस अनिच्छा के अनेक कारण होते हैं। प्रथम, उसे सतर्कता विभाग के कार्यालय के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई अधिकारियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसे जाल बिछाने की व्यवस्था के लिए अपनी ही मुद्रा नोटें उपलब्ध करानी पड़ती हैं। उसे अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है और अनेक कथनों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उसे अधिकारियों तथा

छापामार दल के अन्य सदस्यों के साथ जाना पड़ता है और उसमें मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे अपने रोजगार, कार्य या व्यवसाय से दूर रहना पड़ता है। उसे अपना समय और श्रम दोनों त्यागने पड़ते हैं। इसके बाद विचारण के समय उसे प्रतिदिन न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। उसे प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली कठोर जिरह का सामना करना पड़ता है, मानो वही किसी दोष का अपराधी हो। परिणामस्वरूप, जिस नागरिक को किसी सरकारी अधिकारी द्वारा परेशान किया गया हो, उसे इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो उसे इस अपमान का भी सामना करना पड़ता है कि उसे ऐसा व्यक्ति समझा जाए जिसने किसी सरकारी कर्मचारी को झूठा फँसाने का प्रयास किया हो; इसके अतिरिक्त, भविष्य में संबंधित विभाग के सरकारी कर्मचारियों के रोष का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से या उत्साहपूर्वक ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना नहीं चाहेगा। सामान्यतः तभी कोई नागरिक सतर्कता विभाग की सहायता लेने का मार्ग अपनाता है, जब उसे यह अनुभव होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और स्थिति उसकी सहनशक्ति से बाहर हो गई है। अतः उसके साक्ष्य को सरलता से या हल्के में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय सावधानी और विवेक की आवश्यकता की उपेक्षा करे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों की भी कल्पना की जा सकती है जहाँ कोई ईमानदार या कठोर सरकारी अधिकारी किसी द्वेषपूर्ण व्यक्ति द्वारा झूठे रूप से फँसा दिया जाए, जिसकी अनुचित माँगों को मानने या

नियमों की अवहेलना कर विशेष सुविधा देने से उस अधिकारी ने इंकार कर दिया हो।"

22. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश के निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का भी गहन परीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह हमें उचित और सही प्रतीत होता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, यह अपील किसी भी गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

डी.जी.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।